अध्याय 1
सामान्य

अध्याय 1 : सामान्य

1.1 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013–18 के दौरान बिहार सरकार द्वारा उद्ग्रहीत कर एवं कर–भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल प्राप्तियों में राज्य को समुनदेशित हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका 1.1** में वर्णित है।

तालिका 1.1
प्राप्तियों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1.	**राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व**					
	• कर राजस्व	19,960.68	20,750.23	25,449.18	23,742.26	23,136.49
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**22.81**	**3.96**	**22.65**	**(–) 6.71**	**(–) 2.55**
	• कर–भिन्न राजस्व	1,544,83	1,557,98	2,185,64	2,403,11	3,506,74
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**36.08**	**0.85**	**40.29**	**9.95**	**45.93**
	कुल	**21,505.51**	**22,308.21**	**27,634.82**	**26,145.37**	**26,643.23**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा	34,829.11	36,963.07	48,922.68	58,880.59	65,083.38[1]
	• सहायता अनुदान[2]	12,584.03	19,146.26	19,565.60	20,559.02	25,720.13[3]
	कुल	**47,413.14**	**56,109.33**	**68,488.28**	**79,439.61**	**90,803.51**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)**	**68,918.65**	**78,417.54**	**96,123.10**	**1,05,584.98**	**1,17,446.74**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**31**	**28**	**29**	**25**	**23**
5.	**कुल राजस्व प्राप्तियों से कर राजस्व की प्रतिशतता**	**29**	**26**	**26**	**22**	**20**

(स्रोत : वित्त लेखा, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2013–18 के दौरान कर राजस्व एवं कर–भिन्न राजस्व का औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 8.03 प्रतिशत एवं 26.62 प्रतिशत था।

---

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2017–18 के वित्त लेखा में विवरणी संख्या–14–लघु शीर्ष–वार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष–0005 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (₹ 925.48 करोड़), 0008– एकीकृत माल एवं सेवा कर (₹ 6,572.00 करोड़), 0020–निगम कर (₹ 19,935.56 करोड़), 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 16,834.16 करोड़), 0032– सम्पत्ति पर कर (₹ -0.60 करोड़), 0037–सीमा शुल्क (₹ 6,570.00 करोड़), 0038–संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 6,867.50 करोड़), 0044–सेवा कर (₹ 7,379.29 करोड़) एवं 0045–वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ –0.01 करोड़) के अन्तर्गत लघु शीर्ष 901–निवल प्राप्तियों में राज्य को समुनदेशित हिस्सा के अन्तर्गत आँकड़े।

[2] केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्य/विधान सभा वाले केन्द्रशासित प्रदेश को अन्य स्थानांतरण/अनुदान (भारत सरकार से प्राप्त जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति भी शामिल है)।

[3] माल एवं सेवा कर लागू होने के कारण ₹ 3,041 करोड़ के राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति शामिल है।

चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन (2015–16 से) के पश्चात केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत (32 से 42 प्रतिशत) से बढ़ गया।

राज्य के राजस्व का ब्योरा **चार्ट 1.1** में दिया गया है:

चार्ट संख्या 1.1 राज्य के राजस्व का ब्योरा

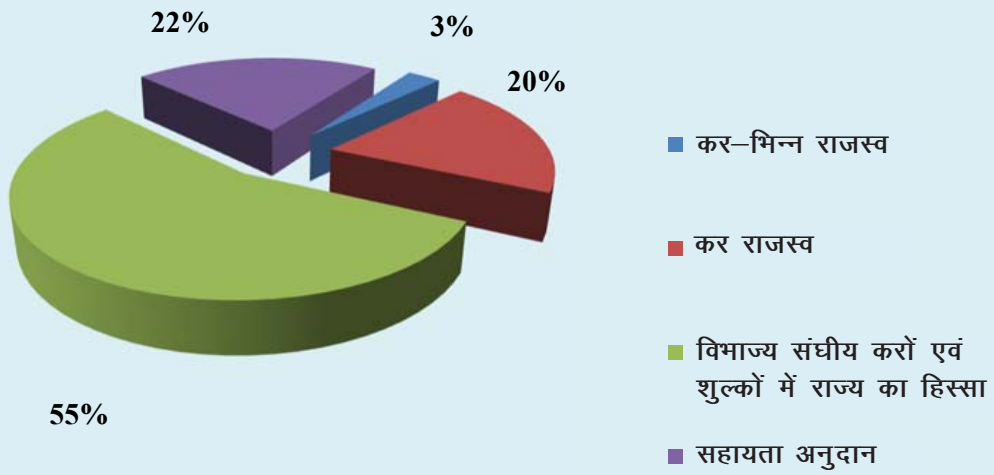

1.1.2 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर राजस्वों का विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2
कर–राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	निम्न की तुलना में वर्ष 2017–18 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2017–18 के बजट अनुमान	2016–17 की वास्तविकी
1.	राज्य माल एवं सेवा कर	–	–	–	–	0.00 6,746.96	–	–
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	12,324.04 8,453.02	12,820.15 8,607.16	16,025.18 10,603.40	14,021.33 11,873.51	24,400.00 8,298.10	–	–
3.	माल एवं यात्रियों पर कर[4]	1,192.75 4,349.00	4,117.50 4,451.25	5,146.88 6,087.12	7,211.96 6,245.62	0.00 1,644.85	–	–
4.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	34.14 50.43	48.59 105.34	45.43 69.36	88.90 81.08	0.01 20.51	–	–
	उप–कुल (1, 2, 3 और 4)	**13,550.93** **12,852.45**	**16,986.24** **13,163.75**	**21,217.49** **16,759.88**	**21,322.19** **18,200.21**	**24,400.01** **16,710.42**	**(–) 31.51**	**(–) 8.19**
5.	राज्य उत्पाद[5]	3,300.00 3,167.72	3,700.00 3,216.58	4,000.00 3,141.75	2,100.00 29.66	0.00 (–) 3.43	–	(–) 111.56
6.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	3,200.00 2,712.41	3,600.00 2,699.49	4,000.00 3,408.57	3,800.00 2,981.95	4,600.00 3,725.66	(–)19.01	(+) 24.94
7.	वाहनों पर कर	800.00 837.48	1,000.00 963.56	1,200.00 1,081.22	1,500.00 1,256.67	1,800.00 1,599.51	(–)11.14	(+) 27.28

[4] 2017–18 की अवधि के दौरान माल एवं यात्रियों पर कर के अन्तर्गत सभी प्राप्तियाँ प्रवेश कर से है, जिसे 1.7.2017 से हटा दिया गया एवं जी.एस.टी. में सम्मिलित किया गया।

[5] बिहार में अप्रैल 2016 से शराब के बिक्री पर रोक लगा दिया गया है।

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	निम्न की तुलना में वर्ष 2017–18 की वास्तविकी में वृद्धि (+)/ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	बजट अनुमान वास्तविकी	2017–18 के बजट अनुमान	2016–17 की वास्तविकी
8.	भू–राजस्व	205.00 201.71	250.00 277.13	300.00 695.15	330.00 971.12	600.00 778.65	(+) 29.78	(–) 19.82
9.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	66.17 141.31	82.70 374.76	102.50 297.99	590.04 223.90	501.09 239.16	(–) 52.27	(+) 6.82
10.	आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	32.59 47.60	44.00 54.96	55.00 64.55	88.03 78.75	100.00 86.52	(–) 13.48	(+) 9.87
कुल		**21,154.69** **19,960.68**	**25,662.94** **20,750.23**	**30,874.99** **25,449.11**	**29,730.26** **23,742.26**	**32,001.10** **23,136.49**	**(–) 27.70**	**(–) 2.55**

{स्रोत : वित्त लेखा, बिहार सरकार एवं राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत)}

राज्य के कर राजस्व का ब्योरा **चार्ट 1.2** में दिया गया है:

चार्ट संख्या 1.2
2017–18 के कर राजस्व का विवरण
(₹ करोड़ में)

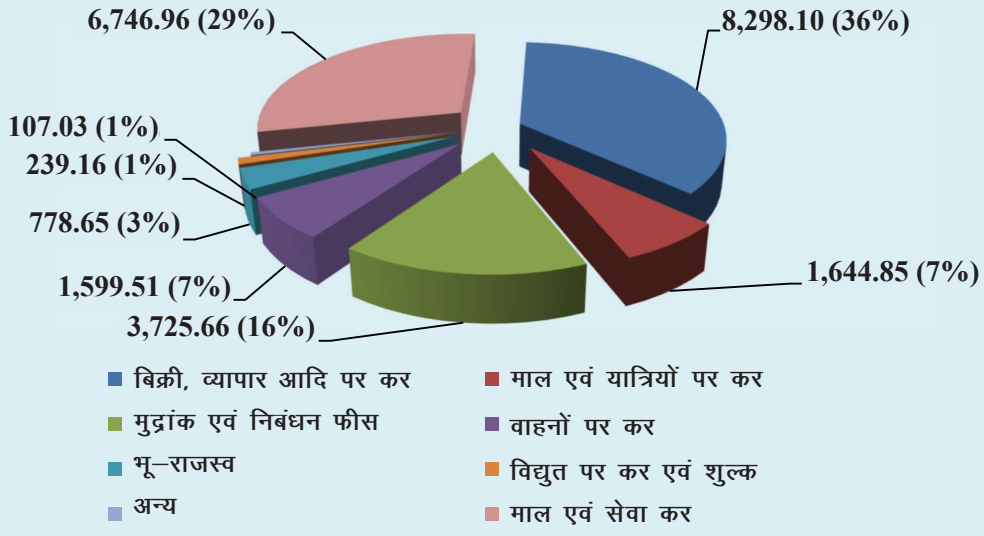

तालिका 1.2 से यह परिलक्षित होता है कि 2017–18 के दौरान कर राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविकी में काफी भिन्नताएँ थी जो यह दर्शाता है कि बजट को वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

पुनः लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

माल एवं सेवा कर के पूर्व एवं माल एवं सेवा कर के बाद के राजस्व की तुलना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर के लागू होने के बाद राज्य माल एवं सेवा कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (जो माल एवं सेवा कर में समाहित हो गये थे) का संयुक्त राजस्व वर्ष 2017–18 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक तौर पर 8.19 प्रतिशत घटा तथा माल एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति मद में ₹ 3,041.00 करोड़ की प्राप्ति को सम्मिलित करने के पश्चात 8.52 प्रतिशत बढ़ा।

क्षतिपूर्ति का कम भुगतानः माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार माल एवं सेवा कर लागू होने के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति पाँच वर्षों तक केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित अंतिम राजस्व के आँकड़े प्राप्त होने के पश्चात राज्यों को देय क्षतिपूर्ति की गणना प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए की जाएगी। माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत माल एवं सेवा कर में सम्मिलित करों का एक आधार वर्ष (2015–16) राजस्व आँकड़ों को अंतिम रूप दिया गया था। बिहार के मामले में आधार वर्ष (2015–16) के दौरान राजस्व ₹ 12,620.56 करोड़ था। राज्य में किसी वर्ष के अनुमानित राजस्व की गणना राज्य के आधार वर्ष के राजस्व के आधार पर प्रक्षेपित विकास दर लागू (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) कर किया जाएगा।

आधार वर्ष के आँकड़ो के अनुसार वर्ष 2017–18 के (01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018) लिए प्रक्षेपित राजस्व ₹ 12,301.25 करोड़ था (सम्पूर्ण वर्ष के लिए ₹ 16,401.68 करोड़)। वर्ष 2017–18 के लिए माल एवं सेवा कर के तहत राजस्व के आँकड़े प्राप्तियों के प्रकृति के अनुसार वित्त लेखे में दिखाये गये हैं, जैसे कि राज्य माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का तिर्यक उपयोग, राज्य माल एवं सेवा कर के कर अवयव में एकीकृत माल एवं सेवा कर स्थानांतरण का विभाजन एवं एकीकृत माल एवं सेवा कर से अग्रिम विभाजन।

वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 12,301.25 करोड़ के प्रक्षेपित राजस्व की तुलना में माल एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य सरकार को प्राप्त राजस्व एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3

जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए संग्रहित माल एवं सेवा कर के पूर्व के कर तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर का विभाजन सहित राज्य माल एवं सेवा कर, राजस्व की हानि के विरूद्ध भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति।

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किये जाने वाले राजस्व	जीएसटी पूर्व कर संग्रह	आई.जी.एस.टी. के विभाजन को सम्मिलित करते हुये संग्रह किये गये स्टेट जी.एस.टी.	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	घाटा/ आधिक्य
	1	2	3	4 =(2+3)	5	6= {1-(4+5)}
जुलाई एवं अगस्त 2017	2,733.61	1,401.70	375.64	1,777.34	00	956.27
सितम्बर एवं अक्टुबर 2017	2,733.61	273.85	1,684.26	1,958.11	692.00	83.50
नवम्बर एवं दिसम्बर 2017	2,733.61	165.19	1,641.50	1,806.69	1,054.00	(–) 127.08
जनवरी एवं फरवरी 2018	2,733.61	175.06	2,190.62	2,365.68	373.00	(–) 5.07
मार्च 2018	1,366.81	415.32	854.83	1,270.15	922.00	(–) 825.34
कुल	**12,301.25**	**2,431.12**	**6,746.85**[6]	**9,177.97**	**3,041.00**	**82.28**

(स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार)

तलिका 1.3 से यह स्पष्ट था कि जी.एस.टी. कार्यान्वयन के बाद संरक्षित किये जाने वाले राजस्व ₹ 12,301.25 करोड़ थे एवं कुल राजस्व संग्रह ₹ 9,177.97 करोड़ था। इस प्रकार राजस्व की कमी ₹ 3,123.28 करोड़ थी जिसकी क्षतिपूर्ति भारत सरकार से की जानी थी। फिर भी क्षतिपूर्ति के रूप में मात्र ₹ 3,041.00 करोड़ प्राप्त हुआ एवं इस प्रकार माल एवं सेवा कर लागू करने के कारण ₹ 82.28 करोड का कुल घाटा हुआ। हालाँकि, नियमानुसार भविष्य के दावों से किये गये अतिरिक्त भुगतान की वसूली द्वारा या राज्य सरकार के खातों को प्रत्यक्ष विकलित करने के अधीन भारत सरकार से मई 2018 में इस कमी को पूरा करने के लिए ₹ 99.00 करोड़ (मार्च 2018 महीना के लिए) का क्षतिपूर्ति प्राप्त हुआ।

[6] वित्त लेखा के अनुसार स्टेट जी.एस.टी. संग्रह ₹ 6,746.96 करोड़ है जिसमें ₹ 552.00 करोड़ का आई. जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन शामिल है। वित्त लेखा में स्टेट जी.एस.टी. का द्विमासिक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है इसीलिए तालिका 1.3 में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया आँकड़ा लिया गया है।

राज्य उत्पाद : जुर्माना एवं जब्ती, वाणिज्यिक एवं विकृत स्प्रीट एवं औषधीय शराब एवं अन्य प्राप्तियों के कारण राजस्व संग्रह ₹ 1.62 करोड़ था तथा ₹ 5.05 करोड़ की वापसी के परिणामस्वरूप 2017–18 के दौरान ₹ 3.43 करोड़ की शुद्ध हानि हुई। मद्य निषेध नीति के कार्यान्वयन के कारण बजट अनुमान 'शून्य' निर्धारित किया गया।

मुद्रांक एवं निबंधन फीस: पूर्व वर्ष की तुलना में 2017–18 के दौरान मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के प्राप्तियों में 24.94 प्रतिशत वृद्धि का मुख्य कारण 2017–18 के दौरान दस्तावेजों के निबंधन की संख्या में भारी वृद्धि था।

वाहनों पर कर : पूर्व वर्ष की तुलना में 2017–18 के दौरान वाहनों पर करों में 27.28 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण 23 जुन 2017 से परमिट शुल्क में वृद्धि और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में संशोधन के उपरान्त 17 जनवरी 2017 से लाइसेंस शुल्क एवं परमिट शुल्क में वृद्धि था। वृद्धि का कारण 2017–18 के दौरान वाहनों के निबंधन की संख्या में भारी वृद्धि भी था।

भू–राजस्व : 2016–17 के वास्तविक संग्रह (₹ 971.12 करोड़) की तुलना में 2017–18 के दौरान भू–राजस्व में ₹ 192.47 करोड़ (19.82 प्रतिशत) की कमी का मुख्य कारण स्थापना प्रभार की दर में की गई कमी थी।

1.1.3 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों एवं उद्ग्रहीत कर–भिन्न राजस्वों का विवरण **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4
कर–भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	निम्न की तुलना में वर्ष 2017–18 की वास्तविकी में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान / वास्तविकी	बजट अनुमान / वास्तविकी	बजट अनुमान / वास्तविकी	बजट अनुमान / वास्तविकी	बजट अनुमान / वास्तविकी	2017–18 के बजट अनुमान	2016–17 की वास्तविकी
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	641.00 569.14	750.00 879.87	1,000.00 971.34	1,100.00 997.60	1,350.00 1,082.67	(–) 19.80	(+) 8.53
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	338.48 269.48	202.22 344.77	312.13 583.66	365.78 939.91	619.25 1,577.24	(+) 154.70	(+) 67.81
3.	पुलिस	70.59 27.27	69.74 29.50	28.93 66.05	31.74 42.16	41.53 86.04	(+) 107.18	(+) 104.08
4.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	65.01 10.18	251.60 21.77	51.25 72.61	23.35 99.88	256.32 25.84	(–) 89.92	(–) 74.13
5.	अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ[7]	2,279.76 668.26	1,797.93 282.07	1,988.80 491.98	819.87 323.56	567.21 734.95	(+) 29.57	(+) 127.14
कुल प्राप्तियॉ		**1,544.83**	**1,557.98**	**2,185.64**	**2,403.11**	**3,506.74**		

(स्रोतः वित्त लेखा बिहार सरकार के अनुसार वास्तविक प्राप्तियाँ एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत) के विवरणी के अनुसार बजट अनुमान)

[7] अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों में 2017–18 के दौरान निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ शामिल हैः सड़क तथा सेतु (₹ 66.74 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹ 54.53 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 48.61 करोड़), वानिकी तथा वन्य प्राणी (₹ 29.41 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 21.47 करोड़), लोक सेवा आयोग (₹ 130.11 करोड़), अन्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 18.40 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभों का अंशदान और वसूली (₹ 202.53 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹ 11.93 करोड़), वृहत सिंचाई (₹ 22.22 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹ 17.27 करोड़), श्रम रोजगार एवं कौशल विकास (₹ 16.79 करोड़), जेल (₹ 15.94 करोड़), मतस्य पालन (₹ 12.02 करोड़), विविध सामान्य सेवाएँ (₹ 3.45 करोड़), जलापूर्ति तथा सफाई (₹ 16.63 करोड़), आवास (₹ 6.57 करोड़), शहरी विकास (₹ 7.43 करोड़), सूचना तथा प्रचार (₹ 0.39 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 0.17 करोड़), पशुपालन (₹ 0.76 करोड़), सहकारिता (₹ 8.62 करोड़), भूमि सुधार (₹ 0.22 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 5.21 करोड़), नागर विमानन (₹ 4.12 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 0.17 करोड़), पर्यटन (₹ 1.62 करोड़), ग्राम तथा लघु उद्योग (₹ 0.06 करोड़), उद्योग (₹ 0.11 करोड़), एवं सिविल आपूर्ति (₹ 0.05 करोड़)।

राज्य के कर–भिन राजस्व का ब्योरा **चार्ट 1.3** में दिया गया है।

चार्ट संख्या 1.3
2017–18 के कर भिन्न राजस्व का विवरण
(₹ करोड़ में)

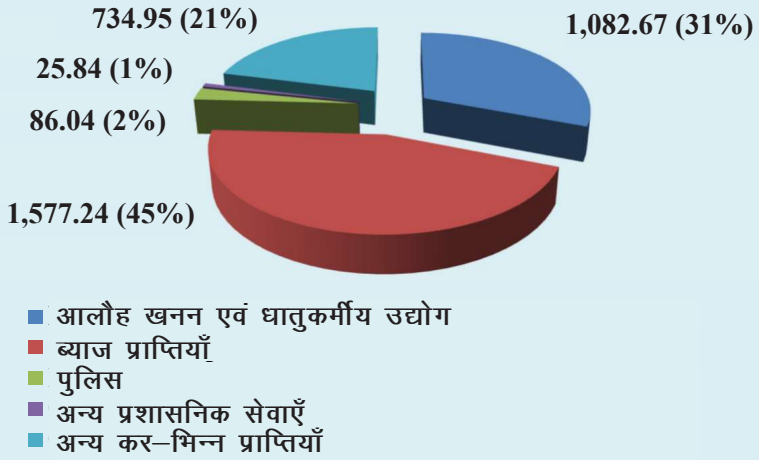

व्यापक भिन्नताओं के कारणों की चर्चा नीचे की गई है:–

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग: लेखापरीक्षा ने यह पाया कि पत्थर के खदानों की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने एवं बालू घाटों के बन्दोबस्ती के निरस्तीकरण के बाद पुनर्बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के कारण 2017–18 का बजट अनुमान प्राप्त नहीं किया जा सका।

ब्याज प्राप्तियाँ: बजट प्राक्कलन यथार्थवादी मूल्यांकन पर आधारित नहीं थे जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2016–17 के दौरान ₹ 939.91 करोड़ की वास्तविक ब्याज प्राप्तियों के बावजूद 2017–18 का अनुमान मात्र ₹ 619.25 करोड़ था, जिसके कारण 2017–18 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य व्यापक अंतर (154.70 प्रतिशत) हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–17 के ब्याज प्राप्तियों में अचानक वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) नागपुर के खातों में राज्य सरकार के अधिक नकदी शेष एवं दैनिक नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए 91 दिनों के ए.टी.बी. नीलामी में ₹ 8,000 करोड़ का निवेश के कारण हुआ। 2017–18 में ब्याज प्राप्तियों में अचानक वृद्धि आर.बी.आई. नागपुर के खाते में राज्य सरकार के अधिक नकदी शेष और 91 दिनों के ए.टी.बी. नीलामी में ₹ 18,000 करोड़ के निवेश के कारण हुआ था। पुनः, राज्य के समेकित निधि में राज्य के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बैंकों में रखी गई धनराशि पर अर्जित ब्याज का प्रेषण भी, ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि के कारणों में से एक था।

पुलिस प्राप्तियाँ: 2017–18 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों का बजट अनुमान से और 2016–17 की वास्तविक प्राप्तियों से अधिकता का मुख्य कारण फीस, जुर्माना एवं जब्ती के तहत अधिक प्राप्ति था।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ : 2016–17 के दौरान ₹ 84.23 करोड़ के वास्तविक प्राप्तियों के बावजूद 2017–18 के दौरान चुनाव उप–शीर्ष के तहत प्राप्तियों का बजट अनुमान ₹ 255.37 करोड़ निर्धारित किया गया था जो 2017–18 के दौरान अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी के बीच व्यापक अंतर का कारण था। इसके अतिरिक्त, 2016–17 में ₹ 84.23 करोड़ की तुलना में 2017–18 में चुनाव उप–शीर्ष के तहत वास्तविक प्राप्ति केवल ₹ 5.47 करोड़ था, जिसके कारण प्राप्ति में कमी आई।

अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ: 2017–18 के दौरान बजट प्राक्कलन पर वास्तविक प्राप्तियों की अधिकता का मुख्य कारण कर्मचारी चयन आयोग/लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क के तहत ₹ 130.11 करोड़ का प्राप्ति था, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 16.31 करोड़ था जिसे 2017–18 के लिए ₹ 22 करोड़ का बजट प्राक्कलन तैयार करते समय आधार बनाया गया था।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को बकाया राजस्व ₹ 4,979.85 करोड़ था जिसमें से ₹ 670.97 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित था, जिसका ब्यौरा **तालिका 1.5** में वर्णित है।

तालिका–1.5
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया कुल राशि	31 मार्च 2018 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	संबधित विभागों द्वारा बताये गये लम्बन की अवस्थाएँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,945.25	625.30	₹ 2,945.25 करोड़ में से ₹ 343.71 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 441.08 करोड़ एवं ₹ 398.75 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, ₹ 0.80 करोड़ कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 2.48 करोड़ को बट्टे खाते में डालना संभावित था एवं ₹ 1,758.43 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	1,332.36	13.00	₹ 1,332.36 करोड़ में से ₹ 0.62 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गए थे, ₹ 136.99 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी तथा ₹ 1,194.75 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	22.99	2.25	₹ 22.99 करोड़ में से ₹ 2.06 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गयी थी एवं ₹ 20.93 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
4.	वाहनों पर कर	188.52	–	परिवहन विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया।
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	10.56	8.19	₹ 8.48 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गये थे एवं ₹ 2.08 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
6.	भू–राजस्व	143.26	–	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकायों का विवरण नहीं दिया।
7.	राज्य उत्पाद	49.40	22.23	₹ 37.25 करोड़ के माँग के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किए गए थे, ₹ 6.06 करोड़ एवं ₹ 0.40 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा विभाग द्वारा रोक लगाई गयी थी, ₹ 1.09 करोड़ एवं ₹ 0.07 करोड़ क्रमशः कर निर्धारितियों/व्यवसायियों के दिवालिया होने एवं आवेदन के सुधार/पुनरीक्षण के कारण रोकी गयी थी, ₹ 0.31 करोड़ को बट्टे खाते में डाला जाना था एवं ₹ 4.22 करोड़ अन्य अवस्थाओं में लंबित थे।
8.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	287.51	-	₹ 287.51 करोड़ के कुल बकाये के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु नीलामवाद दायर किये गये थे।
कुल		**4,979.85**	**670.97**	

(स्रोत : विभागों से सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कुल ₹ 4,979.85 करोड़ के लंबित बकायों में से ₹ 985.41 करोड़ का बकाया न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारियों के यहाँ विवादग्रस्त था।

क्षेत्रीय इकाइयों से सूचना प्राप्त होने के पश्चात विभागों ने विभिन्न अवस्थाओं में लंबित बकायों को सूचित किया था, परन्तु लंबित बकायों से संबंधित विशिष्ट अभिलेखों को, जाँच हेतु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः यह पाया गया कि विभाग बकायों के संग्रहण की प्रगति का अनुश्रवण करने में विफल रहे चूँकि उनके पास लंबित बकायों का डाटाबेस नहीं है।

वाणिज्य–कर विभाग में इसके आगे यह पाया गया कि 31 मार्च 2018 को ₹ 4,288.17 करोड़ के जीएसटी–पूर्व अवधि का बकाया राशि अभी तक लंबित था इनमें से ₹ 646.49 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 31 मार्च 2018 तक वाणिज्य कर विभाग से संबंधित ₹ 4,871.45 करोड़ के 4,876 मामले जो निष्पादन के लिए अपीलीय न्यायालय/वाणिज्य कर आयुक्त के न्यायालय, वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण साथ ही साथ उच्च स्तरीय न्यायालय स्तर पर लंबित था। इस प्रकार वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रतिवेदित कुल बकाया विभिन्न न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में लंबित बकायों से ₹ 583.28 करोड़ कम था, जिसको वास्तविक बकाया सुनिश्चित करने हेतु जल्द से जल्द समाधान करने की जरूरत है।

इसे इंगित करने के पश्चात, वाणिज्य–कर विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया (सितम्बर 2019)।

अनुशंसाः विभागों को आवधिक समीक्षा, समाधान तथा बकायों के परिसमापन के लिए लंबित बकायों का एक डाटाबेस बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजस्व का बकाया जो विवादग्रस्त नहीं है की वसूली प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन–संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग के अनुदेशों के हस्तक (1998) के अनुसार, विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इसके विधान सभा के समक्ष उपस्थापित होने के दो महीनें के भीतर कार्रवाई शुरू करनी है तथा उसके उपरांत लोक लेखा समिति के विचारार्थ सरकार व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करेगी। फिर भी, राज्य विधान मंडल के समक्ष जुलाई 2009 तथा नवम्बर 2018 के बीच उपस्थापित 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 एवं 2017 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित 311 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (विभागों के उत्तर) पाँच माह से अधिक के विलंब से समर्पित किया गया। विभिन्न विभागों[8] से संबंधित जुलाई 2019 तक लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का वर्णन **तालिका 1.6** में दिया गया है।

तालिका 1.6
लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
1.	31 मार्च 2009	23.07.2010	29	26	3
2.	31 मार्च 2010	20.07.2011	26	26	0
3.	31 मार्च 2011	06.08.2012	35	35	0

[8] वाणिज्य कर (55 कंडिकाएँ); मद्य–निषेध, उत्पाद एवं निबंधन (4 कंडिकाएँ); परिवहन (11 कंडिकाएँ); राजस्व एवं भूमि सुधार (17 कंडिकाएँ); तथा खान एवं भूतत्व (एक कंडिका)।

क्र. सं.	को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कंडिकाओं की संख्या जहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
4.	31 मार्च 2012	08.01.2013	38	36	2
5.	31 मार्च 2013	21.02.2014	41	39	2
6.	31 मार्च 2014	24.12.2014	44	38	6
7.	31 मार्च 2015	18.03.2016	39	34	5
8.	31 मार्च 2016	27.03.2017	42	8	34
9.	31 मार्च 2017	29.11.2018	36	0	36
कुल			**330**	**242**	**88**

यह पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये अवलोकनों पर राजस्व की वसूली हेतु यद्यपि विभागों ने कार्रवाई शुरू किया था, परन्तु लगातार होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए विभागों द्वारा किसी भी स्तर पर सुधारात्मक उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2008–09 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित चयनित कंडिकाओं पर चर्चा किया तथा उपर वर्णित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित वाणिज्य–कर विभाग, मद्य–निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग एवं परिवहन विभाग से संबंधित 47 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ दिए, जिन पर विभागों सें कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2019)।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने सचिव, बिहार विधानसभा (अगस्त 2018) एवं मुख्य सचिव, बिहार सरकार (जुलाई 2019) को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर स्व–व्याख्यात्मक कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ एवं लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को समय पर समर्पित करने हेतु अनुरोध किया।

अनुशंसाः राज्य सरकार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए त्रुटियों और प्रणाली दोषों को उपचारित करने तथा राजस्व के रिसाव को बंद करने के लिए, कार्रवाई प्रारंभ कर सकती हैं, तथा सुनिश्चित करे कि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर सभी विभाग तत्परता से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ तैयार करें।

1.4 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.4.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करता है साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई और इसके अनुश्रवण हेतु उनके उच्च अधिकारियों को इनकी प्रतियाँ निर्गत की जाती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुख एवं सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। 2008–09 से 2017–18 के दौरान निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा में पता चला कि मार्च 2019 के अंत तक 2,493 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 21,994 कंडिकाएँ लंबित थे। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में संभावित वसूली योग्य राजस्व ₹ 24,304.01 करोड़ तक है जबकि राज्य का संपूर्ण राजस्व संग्रहण ₹ 26,643.23 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्णन **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7
विभाग–वार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	381	9,684	11,590.39
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर आदि			
2.	मद्य निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	324	1,457	1,055.90
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	747	4,929	7,474.55
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	346	2,724	1,000.21
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	371	1,140	1,111.65
6.	खान एवं भूतत्व	खनन प्राप्तियाँ	324	2,060	2,071.31
कुल			**2,493**	**21,994**	**24,304.01**

यहाँ तक कि 2008–09 और उससे आगे निर्गत किये गये ₹ 12,893.64 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,183 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,111 लेखापरीक्षा अवलोकनों) के प्रथम उत्तर, जो कि कार्यालयों के प्रधानों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर प्राप्त होने थे, प्राप्त नहीं हुए। विभागवार विवरण **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण जिनके प्रथम उत्तर लंबित हैं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	91	3,136	3,774.25
		प्रवेश कर			
		विद्युत शुल्क			
		मनोरंजन कर आदि			
2.	मद्य निषेध एवं उत्पाद	राज्य उत्पाद	76	403	473.20
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	530	3,542	6,323.74
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	238	1,789	830.12
5.	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	136	419	768.01
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	112	822	724.32
कुल			**1,183**	**10,111**	**12,893.64**

मामले को प्रधान सचिव, वित्त विभाग को जून 2019 में प्रतिवेदित किया गया था, जिन्होंने सभी राजस्व विभाग को लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों के द्रुत अनुपालन हेतु निर्देश दिया।

अनुशंसा :

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए, कि विभागीय अधिकारी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन तत्परता से करें, सुधारात्मक कार्रवाई करें तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों के जल्द निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा के साथ घनिष्ठता से कार्य करें, एक प्रणाली आरंभ कर सकती है।

1.4.2 तथ्यों के विवरणी एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभाग के प्रधान

सचिव/सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर उनका ध्यान आकृष्ट कराने एवं छह सप्ताह के अन्दर उनके मंतव्य हेतु अनुरोध किया जाता है। विभाग/सरकार से जवाब नहीं प्राप्त होने के तथ्य को प्रतिवेदन में शामिल ऐसे कंडिकाओं के अन्त में अवश्य दर्शाया जाता है।

2017–18 के दौरान 495 तथ्यों के विवरणी प्रधान सचिव/सचिव को निर्गत किया गया था जिसमें से लेखापरीक्षा को 365 तथ्यों के विवरणी का जवाब प्राप्त (सितम्बर 2019) नहीं हुआ (73.74 प्रतिशत) जो नीचे वर्णित है।

तालिका 1.9

क्र. सं.	विभाग का नाम	विभाग को जारी किये गये तथ्यों के विवरणी की संख्या	तथ्यों के विवरणी की संख्या जिनके जवाब प्राप्त हुये
1.	वाणिज्य कर	275	103
2.	उत्पाद एवं मद्य निषेध	2	0
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	26	2
4.	परिवहन	127	10
5.	निबंधन	38	4
6.	खान एवं भूतत्व	27	11
कुल		**495**	**130**

तदन्तर, इस प्रतिवेदन में शामिल 26 कंडिकाएँ एवं **'बिहार में माल एवं सेवा कर अधिनियम के संक्रमणकालीन प्रावधानों के कार्यान्वयन'** तथा **'निबंधन विभाग में कम्प्यूटरीकरण'** की लेखापरीक्षा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को 2018–19 में भेजा गया। हालाँकि लेखापरीक्षा को 24 प्रारूप कंडिकाओं (92.31 प्रतिशत) का जवाब प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2019)। जहाँ भी कंडिकाओं का जवाब विभाग के प्रधान सचिव/सचिव से प्राप्त हुआ है उसे उचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया एवं उस पर मंतव्य दिया गया।

1.5 वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार सरकार जिसके प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं, संबंधित प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना पत्रों तथा लेखापरीक्षा दलों की उपलब्धता के आधार पर, राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है।

वित्त (अंकेक्षण) विभाग में मानव बल की स्थिति (31 मार्च 2019 को) **तालिका 1.10** में दी गई है।

तालिका 1.10
वित्त (अंकेक्षण) विभाग में मानव बल की स्थिति

संवर्ग	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत में)
राजपत्रित	565	33	94
अराजपत्रित	1,004	167	83
कुल	**1,569**	**200**	**87**

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने 2017–18 के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के चार इकाइयों, निबंधन विभाग के दो इकाइयों एवं परिवहन विभाग के एक इकाई का अंकेक्षण किया। वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग में मानवबल की भारी कमी के कारण कोई भी अन्य राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों जैसे वाणिज्य कर विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग का लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं किया।

अनुशंसा :

राज्य सरकार को प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वित्त (अंकेक्षण) विभाग के विभिन्न संवर्गों की रिक्तियों को भरना सुनिश्चित करना चाहिए।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017–18 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू–राजस्व एवं खनिज प्राप्तियों से संबंधित राज्य सरकार के छह विभागों के 1,182 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 214 (18.10 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। इसके अलावा अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच खान एवं भूतत्व विभाग के 14 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। छह विभागों में 2016–17 के दौरान ₹ 24,739.86 करोड़ राजस्व की वसूली की गई, जिसमें से लेखापरीक्षा किए गए इकाइयों ने ₹ 19,087.54 करोड़ (77.15 प्रतिशत) का वसूली किया एवं नमूना जाँच इकाइयों में ₹ 16,966.68 करोड़ के राजस्व का जाँच किया गया।

लेखापरीक्षा ने 3,452 मामलों में कुल ₹ 4,515.17 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया जिसे विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा बताया गया था। संबंधित विभागों ने 1,830 मामलों में ₹ 2,353.28 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2017 और जुलाई 2019 के बीच) जिसमें से ₹ 870.47 करोड़ के 356 मामले 2017–18 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्त्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभागों ने 416 मामलों में ₹ 39.77 करोड़ का वसूली प्रतिवेदित (अप्रैल 2017 से जुलाई 2019 के बीच) किया।

1.7 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 26 कंडिकाएँ और **''बिहार में माल एवं सेवा कर अधिनियम के संक्रमणकालीन प्रावधानों के कार्यान्वयन''** तथा **''निबंधन विभाग में कम्प्यूटरीकरण''** पर लेखापरीक्षा शामिल है। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 1,648.80 करोड़ है।

विभागों/सरकार ने कुल ₹ 1,116.89 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (जुलाई 2019 तक) जिसमें से ₹ 32.74 करोड़ की वसूली कर ली गयी। शेष मामलों में वसूली सूचित (जुलाई 2019) नहीं की गई। लेखापरीक्षा अवलोकनों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 से 6 में की गयी है।

बताई गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा आधारित हैं। इसलिए, विभाग/सरकार सभी इकाइयों का यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा एक प्रणाली, जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके, को स्थापित करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण कर सकती है।